न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14 / 2018 राजस्व अपील

1. प्रकाश चन्द पुत्र प्रभूदयाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी महलूणी तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार बसवा मिसल सं. 158 / 2017 निर्णय दिनांक 26.12.2017 उनवानी सरकार बनाम प्रकाश चन्द अ.धा. 91(3) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थिति : श्री नवीन कुमार गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 08.03.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बडियालखुर्द की रिपोर्ट दिनांक 11.12.2017 के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट 1956 में दर्ज कर तहसीलदार बसवा ने दिनांक 26.12.2017 को एक पक्षीय आदेश पारित कर ख.न. 203 में अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट को बेदखल किये जाने के आदेश पारित कर दिये। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अपीलान्ट पेश कि गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता व अन्य खातेदारान की कब्जा काश्त एवं खातेदारी भूमि की आराजी ख.न. 290 चाही ए वाकै ग्राम महलूणी पटवार हल्का बडियालखुर्द में स्थित हैं। अपीलान्ट के पिता एवं अन्य खातेदार की भूमि ख.न. नया 22 पुराना 18 की कुल किता

अति० जिला कलक्टर

20 कुल रकबा 6.98 है0 भूमि है। जिसका सभी खातेदारन ने मनसमाई से काश्त के लिये बहामी बटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार ख.न. 290 अपीलान्ट के पिता प्रभूदयाल के हिस्से में है। जिसमें अपीलान्ट एवं उसके पूर्वज सैकडो वर्षो से काश्त करते आ रहे है। मौके पर ख.न. 290 एवं 203 के मध्य सैकडो वर्षो से ही कच्ची खाम डोल बनी हुई है। अपीलान्ट ने खाम डोल को छोडकर ख.न. 290 की सीमा को छोड़कर बिजली की कोठरी बनाई हुई है। अपीलान्ट द्वारा ख.न. 203 में किसी प्रकार का निर्माण नही किया गया है। मौके पर ख.न. 203 और अपीलान्ट की खातेदारी भूमि ख.न. 290 का सीमाज्ञान करवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट निर्णय पारित किया है और अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने, प्रतिरक्षा करने एवं जवाब पेश करने का अवसर नही दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम महलूणी तहसील बसवा में स्थित सिवायचक, गैर मुमकिन नाला भूमि खसरा नंबर 203 रकबा 1.50 है0 में से 160 वर्गफुट पर बिजली की कोठरी पुख्ता एवं 128 वर्गफुट पर पुख्ता चबूतरा एवं पानी की टंकी का निर्माण कर कुल 288 वर्गफुट भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर लगान दर का 50 गुणा शास्ति कायम करते हुए प्रश्नगत आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिनांक 26.12.2017 पारित कर दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा मौके पर ख.न. 203 और अपीलान्ट की खातेदारी भूमि 290 का सीमाज्ञान करवाये बिना ही अधीन्स्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना व्यक्त किया गया है। अतः प्रकरण तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा के निर्णय दिनांक 26.12.2017 को निरस्त करते हुए। प्रकरण तहसीलदार बसवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर तदानुसार तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत निर्णय पारित कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
दौसा
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
दौसा
अति0 जिला कलक्टर, दौसा